राज्य स्तरीय आकलन (SLA)
हेतु बैठक दिनांक 26.03.2019

कार्यवाही विवरण

शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कक्षा–कक्ष में सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में सुधार किया जाने की अनिवार्यता को देखते हुए शिक्षकों की सहायता के लिए शिक्षा विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से सभी स्तर पर प्रयासरत है। वर्तमान में बच्चों के सीखने को मापने के लिए संभावित शिक्षण संप्राप्तियों पर जोर दिया जा रहा है जिससे कि छात्र पूर्ण क्षमता के साथ सभी विषयों को सीख पा रहा है अथवा नही यह जाना जा सके। अतः छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2019 में राज्य स्तरीय आकलन (SLA) किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में संचालक, SCERT,CG एवं अतिरिक्त संचालक, SCERT,CG की उपस्थिति में आकलन के संदर्भ में निर्मित समिति की बैठक दिनांक 26.03.19 को SCERT, CG, Raipur में आयोजित की गयी। बैठक में समिति के सदस्य एवं परिषद के विषय समन्वयक इस प्रकार लगभग 38 प्रतिभागी उपस्थित थे।

बैठक में लिए गए निर्णय निम्नानुसार है –

अतिरिक्त संचालक महोदय द्वारा छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा SLA हेतु जारी दिशा–निर्देशों का प्रस्तुतीकरण PPT के माध्यम से किया गया, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। दिशा निर्देशों का पूर्ण परिपालन अत्यधिक जिम्मेदारी पूर्वक किया जाए, यह भी तय किया गया –

- SLA के अंतर्गत होने वाला आकलन प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 8 हेतु आयोजित किया जायेगा। कक्षा 5 एवं 8 के पूर्णता प्रमाणपत्र पूर्वानुसार दिए जाएंगे।
- सभी कक्षाओं में लिखित आकलन होगा।
- बेसलाइन SLA पूरे प्रदेश की शालाओं में एक बार एक ही तिथि में प्रारंभ होगा। इसकी समय–सारणी राज्य स्तर से लोक शिक्षण संचालनालय से जारी की जाएगी।
- प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर SCERT द्वारा तैयार कर जिलों को दिए गए हैं। प्रश्नपत्रों का स्वरूप निम्नानुसार रखा गया है –

क्रमांक	कक्षा	प्रश्नों की संख्या	समय	अंक	विषय
1	I - II	15	2.00	30	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित
2.	III – IV	15	2.00	50	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन
3.	V	15	2.00	100	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन
4.	VI - VIII	15	2.30	100	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू

- संपूर्ण SLA प्रक्रिया, प्रश्न पत्रों के मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी समस्त गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।
- विद्यार्थियों के ID (10 नम्बर) ही विद्यार्थियों के रोल नंबर होंगे, समग्र शिक्षा द्वारा शालावार विद्यार्थियों के ID संबंधित शालाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मूल्यांकन कार्य हेतु App का निर्माण NIC द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत कुछ महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं –

- बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मॉडल उत्तरों के अनुसार किया जाए। प्रत्येक प्रश्न किसी विशिष्ट Learning Outcome पर आधारित है अतः प्राप्त अंकों के आधार पर उस Learning Outcome की संप्राप्ति हुई है यह जानकारी अनिवार्यतः प्राप्त हो सके। यह भी संभव है कि अलग–अलग Skills और अलग–अलग अंकों वाले एक से अधिक प्रश्न यदि एक ही Learning Outcome पर आधारित हैं तब अधिक अंक वाले प्रश्न के अनुसार प्राप्तांक के आधार पर Learning Outcome की संप्राप्ति तय की जाए।
- राज्य स्तर पर किए गए विश्लेषण के आधार पर क्षेत्र विशेष में कम संप्राप्ति वाले Learning Outcome के लिए विशेष कोर्स/सामग्री/प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था समय/दिन/ विशिष्टता/स्वरुप आदि तय कर की जाए।
- CCE के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में दि. 25.03.19 को हुई Video Conferencing में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में शालाओं में प्रगतिपत्रक पूर्व निर्धारित योजनानुसार ही तैयार कर वितरित किए जाएं।
- दिशा निर्देशों के अनुरुप यथा संभव शत–प्रतिशत बच्चों की SLA में उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है किन्तु किसी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी उपस्थित न हो पाए अथवा ऐसे विद्यार्थी जो शाला में नामांकित तो हैं किन्तु CWSN होने के कारण शाला आने में असमर्थ हैं और उन्हें Home Based Education दिया जा रहा हो तो पूर्व प्राप्त दिशा निर्देशानुसार ही आकलन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

शिक्षा में छात्र केन्द्रित शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया जा रहा है, तद्नरूप कार्ययोजना तैयार कर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

शहरी अंचल से ग्रामीण अंचल तक अध्ययनरत् छात्रों को एक ही प्रकार का लाभ प्राप्त हो इस हेतु विभिन्न गतिविधियां एवं नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा का अंतिम प्रतिफल जो एक बालक है उसका सर्वांगीण विकास हो सके एवं राज्य तथा देश को बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध हो सके इस तथ्य को ध्यान में रखकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है।

शिक्षा में रूचि रखने वाले समस्त व्यक्तियों के मार्गदर्शन से राज्य में प्रत्येक बच्चों को पहूंच की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण जो मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल का प्रमुख बिन्दु है, को प्राप्त करने में विभाग सफल हुआ है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल की दिशा में कार्य प्रगति में है।

शिक्षा विभाग सब की शिक्षा के लिए प्रयासरत् है, जो इस प्रतिवेदन में स्पष्ट परिलक्षित होगा, साथ ही यह प्रतिवेदन समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर प्रदान करेगी कि, शिक्षा के क्षेत्र में वे अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।